रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227413 CG-DL-E-08062021-227413

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2016] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943 No. 2016] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुन, 2021

का.आ. 2175(अ).—केंद्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (i) के खंडों (ii) और (iii) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा मैसर्ज़ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भिलाई (पैन:AABAI0415K) को आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (i) के खंडों (ii) और (iii) के प्रयोजनों हेतु सामाजिक विज्ञान एवं सांख्यिकीय अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध के लिए 'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2021-2022 हेतु लागू की हुई मानी जाएगी तथा मूल्यांकन वर्षों 2022-23, 2023-2024, 2024-2025, तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[(अधिसूचना सं. 70 /2021) फा.सं. 203/06/2020/आईटीए-II]

प्रज्ञा परमिता. निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापनः यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व प्रभावी किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2021

S.O. 2175 (E).— In exercise of the powers conferred by clauses (ii) and (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves M/s Indian Institute of Technology, Bhilai (PAN: AABAI0415K) under the category of 'University, College or other institution' for Scientific Research and Research in Social Science and Statistical Research for the purposes of clauses (ii) and (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2021-2022 and shall apply with respect to the assessment years 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[(Notification No. 70 /2021) F.No.203/06/2020/ITA-II]

PRAJNA PARAMITA, Director

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.